गोमती नगर विस्तार, गोसाईगंज व सरोजनीनगर में चला बुलडोजर

जासं • लखनऊ : शहर में अवैध निर्माण व प्लाटिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एलडीए की प्रवर्तन टीमों ने बुधवार को गोमती नगर विस्तार, गोसाईगंज व सरोजनीनगर में 60 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में चल रही पांच अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। सरोजनी नगर के अमौसी में अवैध रूप से बनाए जा रहे पांच रो-हाउस व 10 दुकानों को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन-एक के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया, सीबी सिंह पम्मी व अन्य गोमती नगर विस्तार के चंदियामऊ में लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग कर कालोनी विकसित कर रहे थे। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध न्यायालय ने ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किया था। प्रवर्तन जोन-दो के जोनल अधिकारी शशिभूषण पाठक ने बताया, महेन्द्र शुक्ला, विशाल शुक्ला व अन्य गोसाईंगंज के सिकंदरपुर अमोलिया के सठवारा में लगभग 10 बीघा व डा. राकेश कुमार वर्मा इसी गांव के सिद्धपुरा में चार बीघा, विशाल शुक्ला व महेंद्र शुक्ला गोसाईगंज के ग्राम-सिकंदरपुर अमोलिया/भटवारा में लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग करते हुए अवैध कालोनी विकसित कर रहे थे। सभी ने प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना अवैध प्लाटिंग कर रहे थे जिसे प्रवर्तन टीम ने ध्वस्त कर दिया है।

प्रवर्तन जोन-तीन के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया, अतुल यादव व अन्य सरोजनीनगर के ग्राम-अमौसी में साईं सुरक्षा नगर शीतला मंदिर के पास लगभग 08 एकड़ क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे थे। जिसे ध्वस्त करा दिया गया। हरीश वर्मा द्वारा सरोजनीनगर के अमौसी गांव में पानी की टंकी के पास लगभग 600 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पांच रो-हाउस व 10 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। इन निर्माण कार्य को सील कर दिया गया है।

एआई असिस्टेंट जो सुर्खियां बटोर रहा है !
daCunha/AB/1012/hin

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई- 400 056
दूरभाष : 022-26713538, ई-मेल: legaltrademark.kvic@gov.in
वेबसाईट: www.kvic.gov.in

सत्यमेव जयते
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
Government of India

कामये दुःखतप्तानाम्। प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

चेतावनी सूचना

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) संसद के अधिनियम, 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो कि **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार** के अधीन कार्यरत है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय "ग्रामोद्योग", 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) मुंबई, महाराष्ट्र-400056 में स्थित है। आयोग आम जनता के संज्ञान हेतु सूचित करता है कि केवीआईसी नीचे उल्लिखित सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क का स्वामी और मालिक हैः

खादी भारत Khadi India
कामये दुःखतप्तानाम्। प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥
Khadi India
खादी भारत
खादी (शब्द मार्क)
Khadi India Prakritik Paint (INDIA'S FIRST COW DUNG PAINT)

उपरोक्त वर्णित ट्रेडमार्क भारत और दुनिया के विभिन्न देशों में संरक्षित और पंजीकृत हैं और केवीआईसी द्वारा विश्व में लगातार और खुले तौर पर उपयोग किए जा रहे हैं। आयोग द्वारा केवीआईसी के उपरोक्त वर्णित ट्रेडमार्क और/या किसी भी भ्रामक रूप से समान ट्रेडमार्क के किसी भी प्रकार से अनधिकृत उपयोग में लिप्त सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें केवीआईसी के 'खादी' ट्रेडमार्क का प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में, चाहे ट्रेडमार्क, व्यापार नाम और/या डोमेन नाम के भाग के रूप में उपयोग करना भी शामिल है, ताकि केवीआईसी के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जा सके। जन-साधारण को उपरोक्त वर्णित ट्रेडमार्क के खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अधिकृत संस्थाओं/व्यक्ति के अलावा यदि किसी अन्य द्वारा उपयोग किए जाने की कोई जानकारी/सूचना है, तो उनसे अनुरोध है कि केवीआईसी को ईमेल **legalaffairs.kvic@gov.in** पर अवश्य सूचित करें।

-उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विधि मामले)

CBC 25103/15/0003/2425

गर्भावस्था में एक तिहाई महिलाओं को डायबिटीज का खतरा

जागरण संवाददाता • लखनऊः गर्भावस्था के दौरान एक तिहाई महिलाओं को डायबिटीज का खतरा होता है। ऐसे समय में लापरवाही करने से मां और गर्भस्थ शिशु की सेहत को नुकसान हो सकता है। यदि डायबिटीज होती है तो इसके बारे में अपने डाक्टर को बताएं और समय से इलाज करें, जिससे बच्चे पर दुष्प्रभाव न हो। ये बातें केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग क्वीनमेरी की विभागाध्यक्ष प्रो. अंजू अग्रवाल ने कही। वह बुधवार को जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

प्रो. अंजू अग्रवाल ने कहा, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में कई तरह के हार्मोस बदलते हैं। इसमें एक डायबिटीज भी है। इसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। 50 प्रतिशत ऐसी प्रसूताओं को डायबिटीज होने का खतरा बरकरार रहता है। इलाज में देरी से शिशु की सेहत को भी नुकसान हो सकता है। गर्भ में पल रहे शिशु को मां से ही पोषण मिलता है। ऐसे में अगर मां का शुगर बढ़ता है तो इसका असर गर्भस्थ शिशु पर होता है। ऐसे में गर्भपात या शिशु की मृत्यु हो सकती है।

बस की वायरिंग में लगी आग, यात्री सुरक्षित

जासं • लखनऊ: सरोजनी नगर में कानपुर रोड पर ग्रीन हाउस पेट्रोल पम्प के पास बुधवार की शाम सवारी लेकर आ रही निजी बस में अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख तत्काल इसकी सूचना दमकल और पुलिस को दी गई। साथ ही लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। दमकल के पहुंचने से पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया। सरोजनी नगर फायर स्टेशन अफसर सुमित प्रताप सिंह ने बताया कि आग की सूचना पर दो गाड़ियां मौके पर भेजी गई। टीम के पहुंचने से पहले ही लोगों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पा लिया। घटना के वक्त बस में 12 सवारियां थी।

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF UNANI MEDICINE
(Under CCRUM, New Delhi, Ministry of Ayush, Govt. of India)
बसहा, कुर्सी रोड, लखनऊ - 226026 (उ.प्र.) Email: ddcriumlko@gmail.com

शुद्धिपत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में दिनांक **21.03.2025** को I.T. Consultant के पद का **Walk-in-Interview** अगली सूचना तक रद्द कर दिया गया है।

उप निदेशक प्रभारी

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

विज्ञापन संख्या ICMR/HEAD/01/2025-RPCell

वैज्ञानिक पद के लिए भर्ती सूचना

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, सीधी भर्ती के तहत नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए आईसीएमआर कर्मचारियों को स्वीकार्य सामान्य भत्ते के साथ और वेतन मैट्रिक्स (रु.1,44,200-2,18,200) (7वें सीपीसी स्केल) के स्तर 14 आईसीएमआर मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रजनन, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण (आरसीएन) प्रभाग के प्रमुख के पद के लिए 21 अप्रैल, 2025 को शाम 5 :30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, ।

विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया आईसीएमआर की वेबसाइट **www.icmr.nic.in** या **https://recruit.icmr.org.in** पर जाएं

सीबीसी 17152/12/0039/2425 **सहायक महानिदेशक (प्रशासन)**

रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला

भारत के राष्ट्रपति की ओर से पीसीएमएम/आरसीएफ द्वारा निम्नलिखित मदों के लिए ऑनलाईन बोलियां आमंत्रित की जाती हैः-

क्र. सं.	निविदा सं. एवं नियत तिथि	विवरण	मात्रा (सं./सैट्स)	ईएमडी (रु.)
1.	13245020C/07.04.2025	विनिर्देशन सं. क्यूएम/एक्सआरएफ/टीएस-19 आरईवी-01 दिनांक 14.08.2025 पीएल सं. 6415181 के अनुसार एक्सआरएफ एनालाईजर	03 सं.	1,32,310/-
2.	14251039/08.04.2025	एलएचबी कोचिज के लिए पीयू पेंट्स	503 सैट	3,69,450/-
3.	05251128/18.04.2025	फ्रंट भाग पीएल सं. 33553853	35 सं.	142950/-
4.	01241425A/10.04.2025	1-सेंटरिंग डिस्क 2-सेंटरिंग डिस्क	9875 सं. 11053 सं.	325050/-
5.	01251066/15.04.2025	एंटी रॉल बार	3401 सं.	433420/-
6.	01251060/22.04.2025	एलएचबी बोगी के लिए एक्सल एंड कवर का सैट	1737 सैट	196600/-
7.	02251024A/22.04.2025	भेल इलेक्ट्रिक के साथ 3-फेस ऑन-बोर्ड मेनु के लिए इंटर व्हिकल कॉप्लर की आपूर्ति	9 सैट	1,51,870/-

1. विवरण तथा ऑनलाईन बोलियों हेतु वेबसाईट **http://ireps.gov.in** पर पधारें। आरेख/विनिर्देशन, जहां पर भी वांछित हो, आरसीएफ की वेबसाईट **http://www.rcf.indianrailways.gov.in** से डाउनलोड किए जा सकते हैं। क्लास IIIबी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र ऑनलाईन बोलियों हेतु वांछित है, जो **http://www.cce.gov.in** पर सूचीबद्ध लाईसेंस-धारक प्रमाणित एजेंसियों से प्राप्त किया जा सकता है। 2. निविदाएं नियत तिथि पर **14.25 बजे** बंद होंगी तथा निविदा **14.30 बजे** खोली जाएगी। निविदाएं **क्र.सं. 1 से 3** आरसीएफ कपूरथला में खोली जाएंगी और **क्र.सं. 4 से 7** तिलक ब्रिज, नई दिल्ली में खोली जाएंगी। 3. पूछताछ हेतु आईआरईपीएस हेल्पडेस्क पर 011-24102855, 011-24105180 अथवा आरसीएफ की हेल्पडेस्क पर 011-23378658 पर संपर्क करें। **टिप्पणीः** आरसीएफ की जीएसटी सं. 03AAAGM0289C1ZT है। सभी सप्लायरों को उनके द्वारा आपूर्ति करने के लिए डिस्पैच किए गए दस्तावेजों में कोट करने का परामर्श दिया जाता है।

पीसीएमएम

शुद्धिपत्र

बोलीदाता कृपया निम्नलिखित परिवर्तन नोट करें और तदनुसार कोट करें

1. निविदा सं. 02251002 विवरणः एंड फिटिंग्स (03 टाइप्स) नियत तिथि 18.02.2025 को 02.04.2025 पढ़ें, **2. निविदा सं. 17231508** एफआरपी मॉड्यूलर टॉयलेट (प्री असेंबल्ड) की प्रक्योरमेंट हेतु मौजूदा नियत तिथि 18.03.2025 संशोधित को **28.03.2025** पढ़ा जाए, **3. निविदा सं. 13245381** विनिर्देशन सं. मैक/एम/अंब्रेला प्रोजेक्ट/438/22 के अनुसार सेफ्टी क्रिटिकल आईटम्स की टेस्टिंग हेतु ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर की प्रक्योरमेंट हेतु मौजूदा नियत तिथि 18.03.2025 संशोधित को **04.04.2025** पढ़ा जाए, **4. निविदा सं. 05251033** सेकेंडरी एनर्जी अबसोर्बर एस्सले, मौजूदा नियत तिथि 19.03.2025 संशोधित को **28.03.2025** पढ़ा जाए।

पीसीएमएम

सं.:138-एस/2024-25 दिनांकः 19.03.2025

KERALA FEEDS LTD.

(A Govt. of Kerala undertaking)
Kallettumkara, Thrissur Dist. Pin: 680 683
Phone: 9496124900 / 9496227600
E-mail: purchase.kfl@kerala.gov.in
Website: www.keralafeeds.com

EXPRESSION OF INTEREST FOR EMPANELMENT FROM SUPPLIERS / TRADERS OF MOLASSES

2025_KFL_752770_1 19-03-2025

KFL invites expression of interest from competent, well established manufacturers/ traders for supply of Molasses to their various cattle feed manufacturing units for a period of two years through the e-tender portal of Government of Kerala **www.etenders.kerala.gov.in**.

Sd/-
Managing Director

सार्वजनिक सूचना
अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीआईआरपी में)

सभी घर खरीदारों / आबंटियों / लेनदारों और हितधारकों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली के दिनांक **25.02.2025** के आदेश के अनुसार, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू हो गई है, जहां श्री नवनीत कुमार गुप्ता को कंपनी के अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप, इस पर अधिस्थगन लगा दिया गया है और सीआईआरपी के प्रारंभ होने के मद्देनजर निदेशकों की सभी शक्तियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, एक अंतरिम उपाय के रूप में, घर खरीदारों / आबंटियों / लेनदारों और हितधारकों के प्रश्नों को हल करने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर ने **13 मार्च 2025** को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें आम जनता को सूचित किया गया कि कंपनी के सभी परियोजना स्थानों के संबंध में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कर्मचारियों या कर्मचारियों द्वारा पहले जारी किए गए सभी पावर ऑफ अटॉर्नी को भी रद्द कर दिया गया है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीआईआरपी के शुरू होने पर यानि **25.02.2025** से, होमबॉयर्स या आबंटियों से पैसे का संग्रह, कब्जा, सुपुर्दगी, पंजीकरण या किसी भी तरह का कोई भी समझौता या कंपनी के एजेंट या कर्मचारी होने का प्रस्ताव या अभिनय करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भूखंडों, इकाइयों या संपत्तियों के लिए कोई अन्य बाध्यकारी दायित्व या प्रतिबद्धता अंतरिम समाधान पेशेवर की पूर्व और स्पष्ट मंजूरी के बिना "अवैध" माना जाएगा और कानून के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हस्ता / —
नवनीत कुमार गुप्ता
अंतरिम समाधान पेशेवर
दिनांक : 19.03.2025 **अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**

Coca-Cola

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT
New India's Growth Engine 10-12 FEBRUARY, 2023

SLMG BEVERAGES
United to Grow Ahead

स्वागत - वन्दन - अभिनन्दन

लोकार्पण समारोह

प्लांट विस्तारीकरण का लोकार्पण माननीय यशस्वी

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी

के कर कमलों द्वारा ।

दिनांक- 21 मार्च 2025, दिन- शुक्रवार

कार्यक्रम - स्थल,

अमृत बॉटलर्स प्रा.लि., अयोध्या